कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष) मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, भोपाल

क्रमॉक/एफ –10/08/10–10/ 1170 / भोपाल : दिनांक 5/4/08

प्रति,

समस्त वन संरक्षक

(क्षेत्रीय / वन्यप्राणी),

मध्यप्रदेश ।

विषय :– अग्नि सुरक्षा प्रतिवेदन भेजने बावत ।

संदर्भ :– इस कार्यालय के पत्र क0 3655 दिनांक 7–11–2007 एवं पत्र कमांक 3991 दिनांक 18–10–2006.

1– इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको पूर्व में ही अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने एवं उनको नियंत्रित करने के लिये समुचित रणनीति तैयार करने तथा अग्नि वर्ष के अन्त में 15 जुलाई तक वर्ष में लगी अग्नि के समस्त प्रकरणों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। इस संबंध में कुछ वन संरक्षकों द्वारा अग्नि की एकल घटनाओं की रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजी जा रही है, जो कि उचित नहीं है ।

अतः आपको एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वर्ष की समस्त अग्नि दुघर्टनाओं का विवरण निर्धारित प्रपत्र में हार्ड एवं साफ्ट कापी में 20 जुलाई तक भेजा जाना सुनिश्चित करें, जिसमें 15 जुलाई तक की घटनाओं का समावेश हो ।

2– आपको फायर एलर्ट मेसेजिंग सिस्टम के माध्यम से अग्नि दुर्घटनाओं की सूचनायें कम्प्युटर के माध्यम से लगातार प्रेषित की जा रही हैं । उक्त सूचनाओं के बारे में आवश्यक फिडबैक की व्यवस्था भी कम्प्युटर पर ही विद्यमान हैं । अतः आप फायर एलर्ट मेसेजिंग सिस्टम के माध्यम से प्राप्त अग्नि दुर्घटनाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी इन्टरनेट से ही उक्त एप्लीकेशन में दिये गये फिडबैक प्रपत्र में ही प्रस्तुत करें तथा यह सुनिश्चित करें कि आपके अधिनस्थ अमले द्वारा भी उक्त फिडबैक प्रपत्र लगातार अपडेट किया जाये। इसके लिये पृथक से जानकारी भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है ।

3– आपको **"एफ एस आई"** के माध्यम से प्राप्त अग्नि दुर्घटनाओं की जानकारी भी प्रेषित की जाती है । उक्त जानकारियों के संबंध में भी आप एकीकृत रूप में वर्षान्त में 20 जुलाई तक जानकारी संकलित कर इस कार्यालय को हार्ड एवं साफ्ट कापी में भेजें ।

(81)

पृ.क्र.-	
पिछला	अगला

कृपया यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्तानुसार साफ्ट कापी में जानकारी निर्धारित प्रपत्र में एक्सल में ही तैयार की जाये ।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश भोपाल

कमॉक/एफ –10/08/10–10/ 1171 **/ भोपाल : दिनांक** 5/4/08

प्रतिलिपिः–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), म0प्र0 भोपाल की और सूचनार्थ प्रेषित है ।

5/4

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश भोपाल